

कार्यालय आदेश सं... 67/17

इस कार्यालय के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.09.2016 के संदर्भ में यांत्रिक विभाग के 33-1/3% कोटे के तहत अवर लिपिक सह टंकक वेतनमान (5200-20200+1900 ग्रेड पे) की श्रेणी के रिक्तियों को चयन के माध्यम से भरे जाने के क्रम में लिखित परीक्षा दिनांक 28.01.2017 तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही दिनांक 11.05.2017 को सम्पन्न की गयी। जिसके आधार पर समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19/22.05.17 द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थी अवर लिपिक सह टंकक वेतनमान (5200-20200+1900 ग्रेड पे) में योग्य पाये गए हैं।

अतएव उपरोक्त के आलोक में निम्न अभ्यर्थियों को अवर लिपिक सह टंकक वेतनमान (5200-20200+1900 ग्रेड पे) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित पद/कार्यस्थल/वेतन पर पदस्थापित किया जाता है।

क्रम सं	कर्मचारियों का नाम(सर्वश्री)	वर्तमान पद/कार्यस्थल	पदोन्नति पर पद/कार्यस्थल	दिनांक 01.07.2016 का वेतन	पदोन्नति पर वेतन
01.	शिवम कुमार आर्य(अजा) 68110026	सैलुन अटेन्डेंट (मण्डुवाडीह)	अवर लिपिक सीसेई/मण्डुवाडीह	20900/-	21700/-
02.	रंजीत कुमार(अजा) Nps03228	कैरेज खलासी (मण्डुवाडीह)	अवर लिपिक सीसेई/मण्डुवाडीह	20300/-	21100/-
03.	शेषनाथ भारती(अजा) 332np210133	पावर खलासी (मण्डुवाडीह)	अवर लिपिक सीसेई/मऊ	19700/-	20500/-
04.	दीपक पटेल nps05909	कैरेज खलासी (छपरा)	अवर लिपिक सीसेई/छपरा	19700/-	20500/-
05.	दिनेश चन्द मीना(अजजा) 68140053	सहायक कुक (मण्डुवाडीह)	अवर लिपिक डी.ला./छपरा	19700/-	20500/-

विभागीय पदों पर चयन/अचयन के मामले में रेलवे बोर्ड के पत्र सं 2016-ई(एस.सी.टी)1/25/8 दिनांक 30.09.2016 के निर्देशानुसार सामान्य के पदों पर सामान्य वर्ग के कर्मचारी, अजा के पदों पर अजा वर्ग के कर्मचारी एवं अजजा के पदों पर अजजा वर्ग के कर्मचारी को रखा जाना है। यह प्रक्रिया पूर्णतः Provisional रहेगी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात परिवर्तनीय होगी। जिसके आलोक में क्रम सं (1),(2) एवं (3) पर उल्लेखित कर्मचारी क्रमशः शिवम कुमार आर्य, रंजीत कुमार एवं शेषनाथ भारती जो मूलतः अजा संवर्ग से हैं, को भविष्य में उक्त श्रेणी में अजा संवर्ग की रिक्तियों में समायोजित किया जायेगा।

उक्त कर्मचारियों को दो वर्ष के अन्दर हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्रमशः 25 WPM एवं 30 WPM की स्पीड से टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा। यदि उल्लेखित अवधि के अन्दर कर्मचारी टंकक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो उन्हें पदावनत किये जाने का प्राविधान है।

पदोन्नति के उपरान्त वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प एक माह के अन्दर देय है। उक्त पदोन्नति पर सक्षम प्लेसमेंट कमेटी की सहमति एवं सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

संख्या - का/या/331/3%/Gr.D/Gr.C/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वमंयाई (समाडि) वाराणसी ।
2. वमंविप्र/वाराणसी ।
3. मुख्य कार्याधी यांत्रिक बिल ।
4. सीडीओ/मण्डु./छपरा
5. सीसेई(समाडि)/मण्डु./छपरा
6. संबंधित कर्मचारी ।
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
8. मंडल मंत्री नरमू, अजा/अजजा एवं ओबीसी/ एसोसि. वाराणसी ।
9. अन्य प्रति ।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)  
वाराणसी  
दिनांक : 26.05.2017

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)  
वाराणसी